R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 8 ♦ 31 मार्च 2019

राज्य वित्त सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त सचिवों का 31 वां सम्मेलन 18 मार्च 2019 को मुंबई में आयोजित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा 25 राज्यों और पुदुचेरी के वित्त सचिवों ने भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों जैसे सामान्य और सरकार के स्तर पर सकल बाजार उधार, राज्य सरकारों द्वारा अधिक से अधिक सूचना प्रसार की आवश्यकता, निवेशक आधार को विस्तृत करने और एसडीएल में द्वितीयक बाजार में गहनता लाने के लिए उपाय और विभिन्न राज्य सरकारों की उधार लागत में उनकी जोखिम विषमता उचित रूप से प्रतिबिंबित हो जाने के मुद्दे पर चर्चा की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के लिए नए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा तय करने हेतु एक नियम-आधारित दृष्टिकोण के लिए मापदंडों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की जाए। इसके अतिरिक्त, अधिक से अधिक प्रणाली दक्षता के लिए राज्यों ने रिजर्व बैंक की एकीकृत लेखा प्रणाली (ई-कुबेर) के साथ अपनी प्राप्ति और भुगतान प्रणालियों के पूर्ण एकीकरण की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46583)

एफएसडीसी उप-समिति की बैठक-मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने 14 मार्च 2019 मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप-समिति के सदस्य - श्री सुभाष चंद्र गर्ग, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय; श्री इन्जेटी श्रीनिवास, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; डॉ.कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय ; डॉ.एस. सी. खुंटिया, अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई); श्री हेमंत जी कॉन्ट्रेक्टर, अध्यक्ष, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए); रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर - श्री एन.एस.विश्वनाथन, डॉ. विरल वी.आचार्य, श्री बी.पी.कानुनगो और श्री महेश कुमार जैन ; डॉ.शशांक सक्सेना, सचिव, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद; और डॉ. दीपक मोहंती, रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक ने भाग लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का प्रतिनिधित्व श्री जी. महालिंगम, पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया गया, जबकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का प्रतिनिधित्व डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया गया। उप-समिति ने देश की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले वैश्विक और घरेलू मोर्चों के प्रमुख घटनाक्रमों की समीक्षा की। उप-समिति ने क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों के समाधान के तरीकों की; और आवास वित्त कंपनियों और आवास विकासकों के बीच सह संबद्धता पर चर्चा की। उप-समिति ने विभिन्न विनियामक डेटाबेस और वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) के बीच समन्वय करने पर भी विचार-विमर्श किया। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46554)

बैंकिंग विनियमन

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए ढांचे से बाहर किया जाए। धनलक्ष्मी बैंक को भी कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए ढांचे से बाहर करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह पाया गया कि बैंक पीसीए ढांचे के किसी जोखिम थ्रेशॉल्ड का उल्लंघन नहीं कर रहा है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने 26 फरवरी 2019 को हुई बैठक में पीसीए के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की और नोट किया कि भारत सरकार ने 21 फरवरी 2019 को विभिन्न बैंकों में नए सिरे से पूंजी उपलब्ध कराई है जिसमें वे बैंक भी शामिल हैं जो वर्तमान में पीसीए ढांचे के अंतर्गत है। इन बैंकों में से, बीएफएस ने नोट किया कि इलाहाबाद बैंक और कॉर्पो रेशन बैंक ने क्रमशः ₹ 6896/- और ₹ 9086/- करोड़ प्राप्त किए थे। इससे उनकी पूंजी निधि बढ़ गई और उनका ऋण हानि प्रावधान भी बढ़ गया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि पीसीए पैरामीटरों का अनुपालन हो रहा है। दो बैंकों ने भी स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक प्रकटन किया है कि पूंजी उपलब्ध कराई जाने के बाद सीआरएआर, सीईटी1, निवल एनपीए तथा लीवरेज़ अनुपातों में

विषय सूची

राज्य वित्त सचिवों का वार्षिक सम्मेलन	1
एफएसडीसी उप-समिति की बैठक मुंबई	1
बैंकिंग विनियमन	
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा	1
भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन का आस्थगन	2
घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी)	2
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना-संपादित किया जाए	2
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति	2
संशोधित व्यापार ऋण नीति ढांचा	2
वित्तीय बाजार विनियमन	
बाजार दुरुपयोग रोकथाम दिशानिर्देश, 2019	3
सरकार के लिए बैंकर	
सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
एफ़ईटीआरएस के तहत रिपोर्टिंग- आर-रिटर्न्स का संकलन	3
अपतटीय रुपया बाजार संबंधी कार्यदल	3
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग	3
नेपाल और भूटान में भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात एवं आयात	4
मौद्रिक नीति	
2019-20 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय सारणी	4
डाटा जारी	
भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक	4
परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर वर्किंग पेपर	4

पीसीए थ्रेशॉल्ड का उल्लंघन नहीं हो रहा है। (https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46391)

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन का आस्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मार्च 2019 को सूचित किया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक वैधानिक संशोधन लंबित होने और साथ ही साथ कई बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए अगली सूचना आने तक भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इसके पूर्व, इंड एएस का कार्यान्वयन 5 अप्रैल 2018 को जारी प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में सूचित किए अनुसार एक वर्ष तक आस्थगित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत वैधानिक संशोधन भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11506Mode=0)

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची 14 मार्च 2019 जारी की। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। डी-एसआईबी की अद्यतन सूची इस प्रकार है -

बकेट	बैंक	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं	1 अप्रैल 2019 से अपेक्षित अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (चरणबद्ध व्यवस्था के अनुसार) अपेक्षाएं
5	-	0.75%	1%
4	-	0.60%	0.80%
3	भारतीय स्टेट बैंक	0.45%	0.60%
2	-	0.30%	0.40%
1	आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक	0.15%	0.20%

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46553)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

ब्याज सबवेंशन योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2019 को सूचित किया कि भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संशोधनों के साथ ब्याज सबवेंशन योजना को रु.3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण हेतु लागू करने की मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा जारी शर्तों के अनुसार उधार देने वाली संस्थानों, जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को केवल उनके ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं द्वारा ऋण दिए जाने के संबंध में प्रति वर्ष 2% का ब्याज सबवेंशन दिया जाए। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर किसानों को रु.3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इस 2% के ब्याज सबवेंशन की गणना, फसल ऋण राशि पर उसके संवितरण/आहरण की तिथि से किसानों द्वारा फसल ऋण की वास्ताविक चुकौती की तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋणों की देय तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन, के आधार पर की जाएगी। ऐसे किसान को जो समय पर फसल ऋणों को चुकाते हैं उन्हें प्रति वर्ष 3% का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा इसका तात्पर्य है कि जो किसान उक्तानुसार अपने ऋण की चुकौती त्वरित रूप से करेंगे उन्हें वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रति वर्ष 4% की दर से अल्पावधि फसल ऋण प्राप्त होगा। यह लाभ उन किसानों, जो इस प्रकार के ऋणों का लाभ उठाने के एक वर्ष बाद फसल ऋण का भुगतान करते है, को नहीं मिलेगा। ब्याज सबवेंशन का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास फसलोत्तर छ: महीनों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पास अधिकृत गोदामों में अपने उत्पाद रखने पर जारी परक्राम्य (निगोशिएबल) गोदाम रसीदों की जमानत पर फसल ऋण के लिए उपलब्ध दर की समान दर पर उपलब्ध होगा। यह लाभ किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित करने और अपने उत्पाद गोदाम में रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध करने के लिए पुन: संरचित राशि पर बैंकों को पहले वर्ष के लिए 2% का ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे पुन: संरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11494Mode=0)

एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति

रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर गठित विशेषज्ञ समिति ने एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं की पहचान के लिए एवं क्षेत्र विकास के लिए प्रस्तावित दीर्घकालिक समाधान हेतु जनता से सुझाव आमंत्रित किया है। जनता से विभिन्न मुद्दों जैसे निवेश और टर्नओवर आधारित मानदंडों की वर्तमान प्रणाली के संदर्भ में एमएसएमई की परिभाषा, एमएसएमई का वर्गीकरण और पहचान, क्या जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी) ने इस उद्देश्य को पूरा किया है, डीआईसी की भूमिका में सुधार के लिए सुझाव, एमएसएमई क्लस्टर की विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक अंतराल और समस्याएं और उद्यमशीलता क्षमता निर्माण में संरचनात्मक अंतराल का समाधान करने के लिए सुझाव मांगे गए है। (https: / www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay aspx? prid-46579)

संशोधित व्यापार ऋण नीति ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2019 को संशोधित व्यापार ऋण नीति ढांचा के बारे में अधिसूचित किया है। संशोधित ढांचा नवीन बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे पर आधारित है, जैसा कि 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 में अधिसूचित किया गया है। संशोधित ढांचे के अनुसार, तेल और गैस शोधन और विपणन, एयरलाइन और शिपिंग कंपनियों के लिए $ 150 मिलियन या समकक्ष (प्रति आयात लेनदेन) तक व्यापार क्रेडिट स्वचालित मार्ग के तहत लिया जा सकता है। दूसरों के लिए, सीमा $ 50 मिलियन या समकक्ष प्रति आयात

लेनदेन के बराबर है। विदेशी ऋणों के लिए प्रति वर्ष सभी लागत सीमा को पहले 350 बीपीएस से एक बेंचमार्क दर सहित 250 आधार अंकों तक घटा दिया गया है। भारतीय बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (आईएफ़एससी से परिचालन करने वाली) की उधारदाता के रूप में सहभागिता रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगी। शिपमेंट की तिथि से ट्रेड क्रेडिट की अवधि, पूंजीगत सामान के आयात के लिए तीन वर्ष तक होगी। गैर-पूंजीगत सामान के लिए, यह अवधि एक वर्ष तक होगी या परिचालन चक्र जो भी कम हो। शिपयार्ड / शिपबिल्डर्स के लिए, गैर-पूंजीगत सामानों के आयात के लिए ट्रेड क्रेडिट की अवधि तीन साल तक हो सकती है। संशोधित रूपरेखा तत्काल प्रभाव से लागू होती है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11499&Mode=0#AN)

वित्तीय बाजार विनियमन

बाजार दुरुपयोग रोकथाम दिशानिर्देश, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45डबल्यू(धारा 45यू के साथ पठित धारा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए 15 मार्च 2019 को बाजार दुरुपयोग रोकथाम दिशानिर्देश, 2019 जारी किया। 28 सितंबर 2018 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा निर्देश जारी किए गए थे। जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया था। यह निर्देश प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार के लिखतों, विदेशी मुद्रा लिखतों, डेरिवेटिव्स या ऐसे अन्य लिखतों से डील करने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। ये दिशानिर्देश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों के अनुसार लागू नहीं होते हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11500Mode=0)

सरकार के लिए बैंकर

केंद्र सरकार के लेनदेनों का लेखांकन

वित्तीय वर्ष 2018-19 की सरकारी लेखाबंदी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राप्तकर्ता शाखाएँ जो स्थानीय नहीं भी हैं को नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं को समय बद्ध तरीके से चालान/स्क्रॉल आदि पारित करने के लिए विशेष व्यवस्था जैसे कूरियर सेवा आदि की व्यवस्था करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्च के अंत तक सरकार के लिए किए गए सभी भुगतान और संग्रह उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकित किए जा सकें। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मार्च 2019 के अवशिष्ट लेनदेनों का समापन करने की तारीख 10 अप्रैल 2019 होगी।

रिज़र्व बैंक ने शाखाओं को सूचित किया कि नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा अप्रैल 2019 में मार्च 2019 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग करने हेतु परिपत्र डीजीबीए.जीडीबी. सं. 2394/42.01.029/2018-19 के अनुबंध में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें।

नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं से भी अपेक्षित होगा कि वे इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग स्क्रॉल बनाएं अर्थात मार्च 2019 माह के अवशिष्ट लेनदेन के लिए पहला और अप्रैल 2019 माह के पहले 10 दिनों के लेनदेन के लिए दूसरा। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च 2019 तक शाखाओं में किए गए सभी लेनदेनों(राजस्व/कर संग्रहण/भुगतान) से संबंधित खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के खातों में ही प्रभावी कर दिए जाएं और इन्हें अप्रैल 2019 के लेनदेन के साथ मिलाया न जाए। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11503Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

एफ़ईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च 2019 को सभी प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को एफ़ईटीईआरएस के तहत बीओपी फ़ाइल-प्रारूप में अंतिम निर्यातक / आयातक के 'कंट्री कोड' कैप्चर करने के लिए एक अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने हेतु सूचित किया है। सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के अनुमानों के संकलन की सुविधा के उद्देश्य से ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सेवाओं के निर्यात के मामले में, बैंक अंतिम निर्यातक देश के 'कंट्री कोड' को रिपोर्ट करने के लिए उनके साथ उपलब्ध लेनदेन की जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, जबकि सेवाओं के आयात के लिए आवश्यक देश की जानकारी को कैप्चर करने के उद्देश्य से फॉर्म-ए 2 को संशोधित किया गया है।

फ़ॉर्म ए 2 (संशोधित) और एफ़ईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग के लिए बीओपी फ़ाइल का फ़ाइल फार्मेट (संशोधित) ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र के अनुबंध I और अनुबंध II में दिया गया है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11505Mode=0)

अपतटीय रुपया बाजार संबंधी कार्यदल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में कि गयी घोषणा के अनुसार पूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरत की अध्यक्षता में अपतटतीय रुपया बाजार (ओएमसी) संबंधी एक कार्य बल का गठन किया। कार्य दल ऑफशोर रुपी मार्केट से संबंधित मुद्दों की गहराई से जांच करेगा और रुपये के बाहरी मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा जो रुपये के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का भी कारक है। कार्यबल के कार्यक्षेत्र में ओएमसी के विकास के पीछे कारण का मूल्यांकन, घरेलू बाजार में बाजार विनिमय दर और बाजार चलनिधि पर ओएमसी के प्रभाव का अध्ययन; चिंताओं के समाधान के लिए संस्तुत उपाय; यदि कोई हो, अपतटीय रुपया व्यापार से उत्पन्न; गैर-निवासियों के लिए घरेलू बाजार तक पहुंच के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करने के उपायों का प्रस्ताव, इन समस्याओं और कार्यबल द्वारा इस संदर्भ में प्रासंगिक समझे जाने वाले कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दा (ओं) को दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) की भूमिका का परीक्षण शामिल है। कार्यबल द्वारा जून 2019 के अंत में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46423)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2019 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) की शुरुआत की। यह योजना विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारतीय ऋण बाजारों में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत, एफपीआई को कुछ विनियामक आवश्यकताओं से छूट के अलावा लिखत विकल्पों के संबंध में अधिक

परिचालनात्मक लचीलापन दिया गया है। वीआरआर योजना के तहत निवेश आबंटन 11 मार्च 2019 से खुल गया है। 5 अक्टूबर 2019 की मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य ने वीआरआर योजना की घोषणा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अक्टूबर 2018 को अपनी वेबसाइट पर एफपीआई द्वारा निवेश के लिए वीआरआर पर सार्वजनिक परामर्श के लिए चर्चा पत्र रखा गया था। जनता से मिली प्रतिक्रिया और भारत सरकार से परामर्श के आधार पर, इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और 1 मार्च 2019 को ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 21 द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है।

नेपाल और भूटान में भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात एवं आयात

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च 2019 को ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 24 के द्वारा अधिसूचित किया कि भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति 25,000/- तक की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के 200/- और/अथवा 500/- मूल्यवर्ग के करेंसी नोट अपने साथ ले जा सकता है। किसी भी राशि हेतु 100/- मूल्यवर्ग तक के भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट के संबंध में अनुदेश पहले की भांति अर्थात व्यक्ति भारत से नेपाल अथवा भूटान को 100/- तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट ले जा सकता है, भेज सकता है अथवा नेपाल या भूटान से 100/- तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट भारत में ला सकता है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11504Mode=0)

मौद्रिक नीति

2019-20 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय सारणी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मार्च 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों की तारीखों की घोषणा की। एमपीसी की बैठकों की तारीखें निम्नानुसार है:

2019-20 के लिए पहला द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2019
2019-20 के लिए दूसरा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	3, 4 और 6 जून 2019
2019-20 के लिए तीसरा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	5 से 7 अगस्त 2019
2019-20 के लिए चौथा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	1, 3 और 4 अक्तूबर 2019
2019-20 के लिए पाँचवा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	3 से 5 दिसंबर 2019
2019-20 के लिए छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति विवरण	4 से 6 फरवरी 2020

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46626)

डाटा जारी

भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक

भारतीय रिजर्व बैंक ने सांख्यिकीय प्रकाशन ''भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक 2018-19'' शीर्षक के चौथे संस्करण को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार कर रहा है। इसमें 1951 से 2018-19 तक की समय अवधि के सामाजिक-जनसांख्यिकी पर उप-राष्ट्रीय आंकड़े, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, भारतीय राज्यों में बैंकिंग और राजकोषीय संकेतक को शामिल किया गया है। हैंडबुक के इलेक्ट्रॉनिक रूप को भी एक्सेस किया जा सकता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20States)

परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर वर्किंग पेपर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के अंतर्गत 'परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं: क्या इनसे भारत में मजदूरी-कीमत डायनेमिक्स पर प्रभाव पड़ता है?' शीर्षक से वर्किंग पेपर उपलब्ध कराया है। यह पेपर सितिकांत पटनायक, सिलु मुदुली तथा सौम्याजीत रे द्वारा लिखा गया है।यह पेपर भारत में मुद्रास्फीति डायनेमिक्स के विश्लेषण में परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर सर्वेक्षण आधारित सूचना की उपयोगिता की जांच करता है। न्यू कींसियन फिलिप कर्व (एनकेपीसी) के मिश्रित रूपांतरणों का यह अध्ययन करने के लिए उपयोग किया गया है कि क्या मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं पूर्वानुमान प्रत्याशाओं के प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46424)

आरबीआई मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू
से संबंधित स्वामित्व और अन्य ब्यौरे के बारे में विवरण
फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	:	मासिक
3. संपादक, प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, राष्ट्रीयता और पता	:	जोस.जे.कट्टूर
	:	भारतीय
	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001
4. व्यक्ति का नाम और पता जिसके पास न्यूजपेपर का स्वामित्व है	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001

मैं, जोस जे.कट्टूर, एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं ।

हस्ता/-

जोस जे.कट्टूर

प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक: 1 मार्च 2019

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।